झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 02 माघ 1940 (श0) .... को 22 जनवरी, 2019 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को संसूचित की गई सा0 सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
38	अ0सू0–05	श्रीमती गीता कोड़ा,	जारी खनन् पट्टा की जाँच	खान एवं भूतत्व	15.01.2019
39	अ0सू0–04	श्री आलमगीर आलम,	ससमय पंजीयन करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	14.01.2019
40	अ0सू0–06	श्री प्रदीप यादव,	स्वतंत्र एजेंसी से जाँच	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	16.01.2019
41	अ0सू0–09	श्री राधाकृष्ण किशोर,	डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	16.01.2019
42	अ0सू0–02	श्री राम कुमार पाहन,	परीक्षा का आयोजन करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.01.2019
*43	अ0सू0–03	श्री आलमगीर आलम,	बकाया वेतन का भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14.01.2019
44	अ0सू0–07	श्रीमती गीता कोड़ा,	जंगली हाथियों को भगाना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	16.01.2019
45	अ0सू0–08	श्री राधाकृष्ण किशोर,	अतिक्रमण मुक्त करना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	16.01.2019
46	अ0सू0–01	श्री नारायण दास,	विश्वविद्यालय स्थापित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।	17.01.2019

* अ० सू० - 03 उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक - 128 दि० - 17.01.19 द्वारा अनु० जाति, अनु० जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित

कृ0पृ0उ0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
47	अ0सू0–12	श्री बिरंची नारायण,	मुआवजा देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.01.2019
48	अ0सू0–10	श्री अनंत कुमार ओझा,	अनुदेशकों के स्थायी नियुक्ति करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.01.2019
49	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल,	खेल एकेडमी का गठन।	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	17.01.2019

राँची
दिनांक–22 जनवरी,2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–694/वि0स0,रांची,दिनांक– 21/01/19

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–694/वि0स0,रांची,दिनांक– 21/01/19

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव, (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–694/वि0स0,रांची,दिनांक– 21/01/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

21.01.19
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

21/01/19

38

श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पट्टा MMRD Act 1957, MC Rules-1960 एवं झारखण्ड लघु खनिज समानानुदान नियमावली, 2004 के तहत् जारी की गयी है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अधिनियमों/नियमावली को अनु0 क्षेत्रों में लागू करने से पूर्व महामहिम राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244 (1) एवं 5th Schedule की Para-5(1), 5(2), 5(3) एवं 5(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सहमति (Concent) लेना अति आवश्यक व अपरिहार्य है;	कंडिका 1 में वर्णित अधिनियम/नियमावली MMDR Act 157, MC Rule-1960 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व अधिसूचित है व संपूर्ण भारत में प्रभावी है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 झारखण्ड सरकार द्वारा विधिवत् अधिसूचित व संपूर्ण राज्य में प्रभावी है।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में महामहिम राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं ली गई है, जो जाँच का विषय है;	MMDR Act 1957 व MCR-1960 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है। जबकि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 राज्य मंत्रिपरिषद से अनुमोदित है एवं राज्यपाल महोदय के behalf में अधिसूचित है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय के आलोक में मामले की जाँचोपरांत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका 1, 2 व 3 में स्पष्ट दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(अ0सू0)–04/19 129 /एम0, राँची, दिनांक– 20/01/2019

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 294 दिनांक 15.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव

39

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-04

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग आठ के छात्रों का पंजीयन का कार्य किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पंजीयन का कार्य दिनांक 12.01.2019 तक पूरे राज्य में करा लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पारा शिक्षक कार्यरत हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि नियमित तथा पारा शिक्षक आवश्यकतानुसार कार्यरत् हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि 15 नवम्बर 2018 से पारा शिक्षकों के हड़ताल में रहने के कारण उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में अध्ययनतरत वर्ग आठ के छात्रों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के किसी जिला से जैक को यह जानकारी नहीं की गई है कि पंजीयन के लिए कोई विद्यालय छूट गया है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग आठ के छात्रों का पंजीयन ससमय कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किसी भी सुयोग्य विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि०2-03/19 -124 राँची, दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 259, दिनांक 14.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 22.01.2019 को श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में 1200 करोड़ खर्च कर कौशल विकास योजना के तहत् युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षित कर क्रमशः 24000 एवं 1 लाख युवक–युवतियों को नौकरी सरकार देने का दावा की है;	– आंशिक स्वीकारात्मक – झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास योजनाओं के तहत 61.24 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में 59.41 करोड़ रूपये की राशि अब तक खर्च की गई है। वर्ष 2017–18 में 26,674 युवाओं को तथा वर्ष 2018–19 में 1,06,619 युवाओं को निजी क्षेत्रों में नियोजित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 के जिन 24000 प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित किया गया उनमें से 20,000 युवा नौकरी छोड़कर वापस आ गए है;	– अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि दिनांक 10 जनवरी 2019 के '' ग्लोबल स्किल समित'' रॉची में नौजवानों को नियोजित किया गया है;	– स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नौकरी के नाम पर नौजावानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कंपनी के विरूद्ध किसी स्वतंत्र एजेंसी से जॉच कराना एवं आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर निजी क्षेत्रो में नियोजित करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में किसी भी कम्पनी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–04/19 123 /राँची, दिनांक– 21.01.19

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 431 दिनांक 16.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.19
(सरकार के अवर–सचिव)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–09

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2017–18 में राज्य के 35 विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि छत्तरपुर विधान सभा क्षेत्र सहित कुल 20 विधान सभा क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2018 तक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता की दृष्टिकोण से 20 विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कब तक करना चाहती है;	राज्य सरकार द्वारा 35 विधान सभा क्षेत्रों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। 35 विधान सभा क्षेत्रों में से जहाँ विभाग को भूमि हस्तांतरित कर दी गयी है, वैसे 27 विधान सभा क्षेत्रों (छत्तरपुर सहित) में डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। 04 विधान सभा क्षेत्र यथा–बगोदर, जमुआ, गांडेय एवं सिल्ली में महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–18/2019......158....../ रांची दिनांक–......21/01/19....../

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–432 दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राम कुमार पाहन, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–02

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविध परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न कॉलेजों में वर्ष 2016–18 में D.El.ED. कोर्स में नामांकित छात्र एवं छात्राओं का दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है जिससे छात्र–छात्राआएँ उच्च शिक्षा/डिग्री में नामांकन नहीं ले पा रहे हैं;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से सभी महाविद्यालयों को सूचित करते हुए पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया चल रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रा–छात्राओं के भविष्य को देखते हुए D.El.ED. कोर्स की परीक्षा का आयोजन शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में निहित है।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि.2-02/19 - 125 राँची, दिनांक 21. 01. 2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 169, दिनांक 13.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(43)

232
21/01/2019

श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक 26.07.2018 को झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भौतिक सत्यापन के आधार पर राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त 118 मदरसों की प्रस्वीकृति जारी रखते हुए मदरसों के शिक्षक कर्मियों का 22 माह का बकाया वेतनादि का भुगतान हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा की गई अनुशंसा का अनुपालन अबतक लंबित है ;	वस्तु स्थिति यह है कि राज्यान्तर्गत 186 अराजकीय सहायता प्राप्त मदरसा की भौतिक जांच संबंधित जिला के उपायुक्त के द्वारा करायी गयी तथा जांच प्रतिवेदन झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची को उपलब्ध कराया गया। झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के द्वारा 183 मदरसों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया तथा 3 मदरसा का अस्तित्व नहीं पाया गया, जो क्रमशः (i)मदरसा काशीफूल उलूम, अलगवुआ, शीतलपुर, कर्मआह, दुमका, (ii)मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, चंगाडीह, धोबना, जामताड़ा एवं (iii)मदरसा इस्लामिया अरजिया, बदिया, बकोट, देवघर है। झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 57 मदरसे, जो प्रस्वीकृति की सभी शर्तों को पूरा करतें है, का भुगतान किया जा रहा है। झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के पत्रांक-4146 दिनांक-04.09.2018 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संथाल परगना प्रमंडल अन्तर्गत 10 मदरसा, जो प्रस्वीकृति की सभी शर्तों को पूरा करतें है, के भुगतान के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 116 मदरसे प्रस्वीकृति की सभी शर्तें पूरा नहीं करतें है।
2	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त 118 मदरसों की प्रस्वीकृति जारी रखते हुए मदरसों के शिक्षक कर्मियों का 22 माह का बकाया वेतनादि का भुगतान एक माह के अंदर करानेका विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका-1 में उत्तर सन्निहित है।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-10/वि.स.01-06/2019 232 राँची, दिनांक 21/01/2019

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2019
सरकार के अवर सचिव।

44

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान झारखण्ड राज्य में हाथियों द्वारा 178 लोगों को मार दिये गये है ;	झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों से निम्नांकित संख्या में व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्रतिवेदित है :– क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | जंगली जानवरों से हुई मानव मृत्यु की संख्या 1 | 2014–15 | 53 2 | 2015–16 | 66 3 | 2016–17 | 59 4 | 2017–18 | 84
(2) क्या यह बात सही है कि वन क्षेत्रों प्रभावकारी गस्ती दल व हाथी भगाओ दस्ते का नहीं होने से लगातार हाथियों का झूंड ग्रामों में प्रवेश कर ग्रामीणों को जान–माल का हानि कर रहा है ;	अस्वीकारात्मक। वन विभाग द्वारा हाथी–मानव द्वंद/जान–माल की क्षति रोकने के लिए स्थानीय ग्राम वन समितियों को हाथी भगाने के लिए मशाल, पटाखा, टार्च आदि तथा गश्ती, आदि हेतु मजदूरी राशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाती है। सामयिक आवश्यकता का आकलन कर विशेषज्ञ दलों को भी नियोजित किया जाता है। विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावित स्थलों का शीघ्रतापूर्वक दौरा कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सम्प्रति 11 (ग्यारह) Quick Response Team का गठन किया गया है। मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक–4327, दिनांक–07.12.2018 द्वारा सभी जिला के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक को भी जंगली हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से आ जाने से ग्रामीणों की भीड़ को हटाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई यथा आवश्यकतानुसार अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग कर जान–माल की क्षति रोकने हेतु निदेश दिए गए हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में प्रभावकारी गस्ती दल तथा हाथी भगाओ दस्ते का प्रबंध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कण्डिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न– 12/2019–273 व0प0, राँची, दिनांक–21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–434 दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(45)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 23.605 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के विरूद्ध 19.185 लाख हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने संरक्षित वन घोषित किया है ;	वन भूमि अभिलेख के अद्यतनीकरण कर उनका संधारण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षकों की अध्यक्षता में समितियॉ गठित की गई है। इनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम के तहत् अधिसूचित वन भूमि से संबंधित आँकड़ों संग्रहण किया जा रहा है। प्राप्त प्राथमिक प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य में भारतीय वन अधिनियम के तहत् अधिसूचित वन भूमि का रकबा 22.568 लाख हेक्टेयर है।
(2) क्या यह बात सही है कि संरक्षित वन भूमि के अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने के कारण 25,181 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण, वन भूमि की खरीद एवं बिक्री तथा वन भूमि का अनाधिकृत इस्तेमाल किया जा रहा है ;	राज्य की वन भूमि अतिक्रमण के लिए संवेदनशील कई कारणों से रही है। इसमें शहरों के निकट की वन भूमि के दामों में अत्याधिक वृद्वि तथा बढ़ती जनसंख्या शामिल हैं। कुछ मामलों में वन भूमि के अभिलेखों में स्पष्टता के अभाव का लाभ भी अतिक्रमणकारियों द्वारा उठाया गया है। वन विभाग द्वारा वन भूमि अतिक्रमण का सतत् अनुश्रवण कर वन भूमि अतिक्रमण रोकने और अतिक्रमित वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसमें वृहद रूप से अभिलेखों का Digitization तथा वन सीमा स्तंभों की स्थापना शामिल है। माह सितम्बर, 2018 तक कुल अतिक्रमित क्षेत्र का रकबा 27663.72 हेक्टेयर है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड–02 में वर्णित वनभूमि के अभिलेख संधारण नहीं जाने के क्या कारण है तथा अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराने हेतु कौन–सी कार्रवाई करना चाहती है ;	वन भूमि अतिक्रमण रोकने एवं अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त कराने हेतु (माह दिसम्बर, 2018 तक) निम्नांकित कार्रवाई की गई है :– **क.** अभियुक्तों के विरूद्व कुल–7885 वन वाद दर्ज किए गए है ; **ख.** अतिक्रमण खाली कराने के लिए कुल 4939 वाद बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत् दर्ज किए गए है ; **ग.** उपरोक्त वादों के निस्तारण के फलस्वरूप तथा वनरोपण कार्य कराकर, वन सीमा स्तंभ स्थापित कर, तथा अन्य कार्य कर, कुल–2359.69 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी है। **घ.** राज्य में अवस्थित कुल–12,23,843 वन सीमा स्तंभों में से विगत वर्षों में 5,27,875 वन सीमा स्तंभों की स्थापना की गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों के समीप 11 (ग्यारह) स्थलों पर वन भूमि को चाहरदीवार बनाकर सुरक्षित किया गया है एवं 03 (तीन) अन्य स्थलों पर घेरान करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–13/2019–276 व0प0, राँची, दिनांक–21-01-2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–433 दिनांक– 16.01.2019 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/1/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2019 V.K

(46)

श्री नारायण दास, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर, राज्य की सांस्कृति राजधानी है, जहॉ द्वांदश बाबा वैद्यनाथ ज्योर्तिलिंग स्थापित है तथा वहॉ प्रत्येक दिन वैदिक मंत्रोच्चारण, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियॉ, प्राचीन एवं प्रसिद्ध संत के आश्रम व मठ स्थापित है ;	अंशतः स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गयी, जिसका अनुपालन आजतक नहीं हो पाया है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों व अभिभवकों में घोर निराशा व्याप्त है;	देवघर में बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर की स्थापना हेतु बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 एवं संलेख प्रारूप गठित है, जिसपर माननीय विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है। साथ ही इसपर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड एवं विधि विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका योजना–सह–वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जा चुकी है।
3.	क्या यह बात सही है कि देवघर में सस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्य सरकार द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा रही है;	उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 में सन्निहत है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका–2 में सन्निहत है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–20/2019 156/ रांची दिनांक– 21/01/19

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को पत्रांक–88 दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.19

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

(47)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बिरंची नारायण, स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–12

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ॰ नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि 16 नवम्बर 2018 से लगातार पारा शिक्षक अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल में है, जिससे करीब 9700 विद्यालयों में बच्चों का पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है और उन्हें मिड डे मील भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 17.01.2019 को माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के अध्यक्षता में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के उपरांत संघर्श मोर्चा के प्रतिनियिों द्वारा हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई है।
2.	क्या यह बात सह है कि सरकार के स्तर से सभी पारा शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतनमान हेतु नियमावली के निर्माण पर नीति निर्धारण हेतु एक कमिटी का गठन भी किया गया है, लेकिन अभी तक हड़ताल जारी है;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, समिति द्वारा पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान, अन्य मांगों पर विचार करेगी तथा एक नियमावली तीन माह के अवधि में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि हड़ताल के क्रम में कुछ पारा शिक्षकों की मृत्यु भी हुई है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभिन्न कारणों से हड़ताल अवधि में पारा शिक्षकों के मृत्यु की सूचना है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 10 लाख का मुआवजा राशि देते हुए उनकी मांगों पर उचित निर्णय करते हुए इनकी हड़ताल यथाशीघ्र समाप्त कराकर राज्य में बेहाल हुई प्राथमिक शिक्षा को पुनः सुचारू ढंग से शुरू करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि समिति ने आन्दोलन के दौरान मृत पारा शिक्षकों के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से रुपये एक लाख प्रति पारा शिक्षक अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही पारा शिक्षकों के लिए राज्य सरकार की ओर से रुपये

Khurshid

		दस करोड़ की निधि से गठित होने वाले कल्याण कोष गठन प्रक्रियाधीन है। हड़ताल अवधि के कारण प्रगति नहीं हुई है। राज्य परियोजना निदेशक तथा एकीकृत पारा शिक्षक मोर्चा शीघ्र गठन पूर्ण कर, इसका संचालन प्रारंभ कर सकते है। समिति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि.स.-13/19-122 राँची, दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 455, दिनांक 17.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19
सरकार के अवर सचिव

(48)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अनंत कुमार ओझा, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू०पी०एस० नं० 5815/2012 के आलोक में यह न्यायादेश प्राप्त हुआ है कि बिहार सरकार के तर्ज पर यहाँ भी शिक्षा अनुदेशकों की सरकारी सेवा में "चतुर्थ श्रेणी" वर्ग में बहाली की जाय ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग के परामर्श पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा आदेश पत्रांक 210(विधि) दिनांक 31.07.2018 द्वारा पारित किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित दायर याचिका के न्यायादेश के बावजूद जनवरी, 2018 से अनुदेशकों को सरकारी सेवा के "चतुर्थ श्रेणी" में बहाल करने का सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ;	वस्तुस्थिति उक्त कंडिका में स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का सरकारी सेवा में "चतुर्थ श्रेणी" वर्ग में नियुक्ति/बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उक्त कंडिका में स्पष्ट की जा चुकी है।

21/1/19

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि2-14/19 - 118 राँची, दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 456, दिनांक 17.01.2019 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 22.01.2019 को पृच्छित अल्प सूचित प्रश्न संख्या –13 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मनीष जायसवाल, सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए व्यवस्थित खेल मैदान नहीं है जिससे ख़िलाड़ियों को विभिन्न खेलों का आयोजन करने में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि देश में खेल एकेडमी गठित करनेवाला झारखण्ड पहला राज्य है जिसके अधीन खेलगॉव में राज्य के लगभग 400 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दी जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खेलगॉव में झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (JSSPS) द्वारा खेल अकादमी संचालित है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार प्रमण्डलीय स्तर पर अभी तक खेल एकेडमी का गठन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी गॉवों में खेल मैदान बनाने के साथ–साथ प्रमण्डलीय स्तर पर खेल एकेडमी का गठन उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के मुख्यालय से करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर के मैदानों के उन्नयन किया जाना है, जिस हेतु बजटीय उपबंध भी किया गया है।। प्रमण्डलीय स्तर के खेल एकेडमी संबंधी कोई अवधारणा विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य० / वि०स०–20 / 2019 128 / राँची, दिनांक 21.01.2019

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 457 / वि०स० दिनांक 17.01.19 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश– (बजट) सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 2 माघ, 1940 [श0] को 22 जनवरी, 2019 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र परं अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
"क" (1)	अ0सू0– 07	श्री ढुलू महतो	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सख्त करना ।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.01.2019

नोटः– "क" दिनांक 18.01.19 को सदन से दिनांक– 22.01.19 के लिए स्थानांतरित ।

राँची,
दिनांक–22 जनवरी, 2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

पंचदश (बजट) सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–5

मंगलवार, दिनांक---------- 2 माघ 1940 (श0) / 22 जनवरी,2019 (ई0) को

प्रश्नों की कुल संख्या– 01 (एक)

(1) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग– 01 (एक)

कुलयोग– 01 (एक)

	प्रश्न	
1	श्री ढुल्लू महतो, स0वि0स0 क्या मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
1	क्या यह बात सही है कि बी0सी0एल0 परियोजना विस्तार एवं कोयला उत्पादन हेतु रैयतों की जमीन का अधिग्रहण करती है जिसके बदले रैयतों को मुआवजा नियोजन एवं पुनर्वास उपलबध कराने का प्रावधान है;	
2	क्या यह बात सही है कि कंपनी द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है इसके बावजूद पिड़ीत रैयत को मुआवजा एवं नियोजन अभी तक नहीं दिया गया है ;	
3	क्या यह बात सही है कि बहुत से मामले 20 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है जिसमें रैयत की भूमि को क्षतिग्रस्त किये जाने के बावजूद किसी प्रकार का नियोजन मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे रैयत दर-दर भटकने को विवश है ;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी0सी0सी0एल0 द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रकिया को सरल व पारदर्शी कर लंबित मामले को खत्म कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

उत्तर
प्रभारी मंत्री राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची।
बी0सी0सी0एल0 द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई सी0बी0एक्ट, 1957 के तहत् भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
उपर्युक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न–01/2018.....600...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19.1.19

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश
19.1.19

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न–01/2018.....600...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19.1.19

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश
19.1.19
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न–01/2018.....600...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19.1.19

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश
19.1.19
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

मुण्डा/–

19/1/19